

देवघर समाहरणालय (जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 11.211/भू अ०

दिनांक : 23/10/19

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-दोजुआचक, थाना-पालोजोरी, थाना सं०-300, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा बाराटांड मोड़-रांगामटिया-पालोजोरी (एस०एच०-15 पर) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-दोजुआचक, थाना-पालोजोरी थाना सं०-300, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.145 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	40	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तारणी मंडल वो बैकुण्ठ मंडल पे० स्व० पंचम मंडल वो जयेदव मंडल वो परमेश्वर मंडल वो भैरों मंडल पे० स्व० रीतलाल मंडल वो ब्रजो मंडल पे० स्व० शालीग्राम मंडल वो राजेन्द्र मंडल वो कैलाश मंडल वो गोपाल मंडल पे० स्व० सीताराम मंडल वो रघुवीर मंडल पे० तिलकधारी मंडल वो प्रदीप मंडल वो शशि मंडल पे० सतचन मंडल वो रामवृक्ष मंडल वो चन्द्रिका मंडल पे० हिरा राम मंडल वो प्रतिमा देव्या वो विद्या देवी पे० मोहन मंडल वो प्रमानन्द मंडल वो अंबिका मंडल वो हिरणदेव मंडल वो रोहित मंडल पे० भुषण मंडल वो बुधु मंडल वो नन्दलाल मंडल पे० शिवनाथ मंडल वो पवन कुमार मंडल वो वीरेन्द्र कुमार मंडल पे० स्व० त्रिवेणी मंडल।	अर्जित रकवा को अंश	कचहरी नवाडीह, 309	कचहरी नवाडीह, 309	सिरसा, 301
2	1	45	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।				
3	1	41	रैयती	बाड़ी-2	0.035	दखल लगन मंडल।				
4	1	42	रैयती	बाड़ी-2	0.03	हृदयनारायण मंडल वो सुरेश मंडल वो नरेश मंडल वो अवधेश मंडल वो युगलकिशोर मंडल पे० स्व० जगदीश मंडल वो मुकेश कुमार वो योगेन्द्र कुमार पे० स्व० विनोद बिहारी मंडल वो सिकन्दर कुमार पे० स्व० सुकदेव मंडल।				
कुल रकवा-						0.145				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु



अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1184 / भू अ०, देवघर, दिनांक 23/10/19

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।